

फिन-ए-सी (5)1/2021-V-लूज

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक:

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त),  
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला - 02.

प्रेषित:

समस्त विभागाध्यक्ष,  
हिमाचल प्रदेश ।


दिनांक: शिमला - 171002.

17/08/2021

विषय:- अनुग्रह अनुदान राशि वितरण हेतु ।  
महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि का वितरण जो कि अब तक ऑफलाइन माध्यम से किया जाता था को अब ई-वितरण के माध्यम से आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDOs) के पक्ष में वितरित किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि वित्त विभाग को अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजते समय उस पर ई-मेल, फोन नंबर, ट्रेज़री कोड, तथा डी०डी०ओ० कोड अंकित करना सुनिश्चित करें ताकि अनुग्रह अनुदान राशि के आबंटन बारे विभाग को सूचित किया जा सके । आपसे यह भी अनुरोध है कि इस संदर्भ में सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDOs) को निर्देश जारी करें ।

भवदीय,

  
(प्रदीप कुमार)


उप सचिव (वित्त),

हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: फिन-ए-सी (5)1/2021-V-लूज दिनांक: शिमला - 171002. 17/08/2021  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), हिमाचल प्रदेश शिमला - 171003.
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश शिमला - 171003.
3. निदेशक, कोष, लेखा एवं लॉटरी विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला - 171009.
4. समस्त मण्डल आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
5. रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला - 171002.
6. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
7. नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा), कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला -171002.
8. निरीक्षक, स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश ।
9. रक्षक नस्ति ।

भवदीय,

  
उप सचिव (वित्त),

हिमाचल प्रदेश सरकार ।